

का.आ. 532(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 591 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने बी०डी० पटेल जनरल हास्पिटल उमरेड, निकट बस स्टैन्ड , डाकें रोड, तालुक-आनंद, खेडा, गुजरात-388220 द्वारा उमरेड, तालुक आनंद जिला खेडा गुजरात में बी०डी० जनरल हास्पिटल के लिए उपकरण/उपस्करणों, वाहन तथा उसे चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 299 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया गया;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है .

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी०डी० पटेल जनरल हास्पिटल उमरेड, निकट बस स्टैन्ड , डाकेर रोड, तालुक-आनंद, खेड़ा, गुजरात-388220 द्वारा उमरेड, तालुक आनंद जिला खेड़ा गुजरात में बी०डी०जनरल हास्पिटल के लिए उपकरण/उपकरणों, वाहन तथा निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए बीस लाख रुपये की कार्पस निधि सहित तिहत्तर लाख, पचास हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 123-2003/फा. सं. एन.सी.-53/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)